

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 16/10

संस्थापन दिनांक:-06/01/10

फायलिंग नं. 952/2017

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

संतोष पिता ठेंगा गोंड, उम्र 35 वर्ष,
 निवासी अयोध्या नगर बस स्टैंड के पास आमला,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

-: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 07.12.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 327 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 05.01.2010 को सुबह 08:30 बजे थाना आमला से 01 किमी. पश्चिम में स्थित देशमुख होटल, मोटर स्टैंड आमला में फरियादी भीमराव से अवैध पैसे की मांग कर सम्पत्ति उद्धापित करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 05.01.2010 को सुबह 7 बजे अपनी होटल पहुंचकर दुकान खोलकर काउंटर पर बैठा था। करीब 08:30 बजे अभियुक्त उसकी दुकान पर आया और बोला कि उसे 500/- रुपये दो। जिस पर उसने अभियुक्त से पूछा कि किस बात के पैसे तो अभियुक्त ने कहा कि वह इस क्षेत्र का रंगदार है वह जो बोलता है सीधे करो नहीं तो तेरी मां चोद दूंगा और मादरचोद बहनचोद की गालियां दी जो उसे सुनने में बुरी लगी। अभियुक्त ने उसे हाथ थप्पड़ से मारपीट किया। अभियुक्त ने उसे पीठ, सिर में मारा तथा बाल पकड़कर पटक दिया और जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्त ने उसकी दुकान पर आकर नाजायज तरीके से जबरन रुपये वसूली की मांग की तथा उसकी होटल में बना सामान मिठाई, नमकीन वगैरह फेंक कर तोड़ फोड़ कर दिया जिससे करीब एक हजार रुपये का नुकसान हुआ।

3 फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 7/10 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के

कथन लेखबद्ध किये गये। नुकसानी पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 प्रकरण में फरियादी भीमराव की मृत्यु होने से धारा 304(4) दं.प्र.सं. का आवेदन स्वीकार कर उसके भाई शंकरराव का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 323, 427, 506 भाग-दो भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 327 भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

5 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

“क्या अभियुक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी भीमराव से अवैध पैसे की मांग कर सम्पत्ति उद्घापित करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

7 शंकरराव (अ.सा.-4) एवं गणेश (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन कथनों में घटना के संबंध में कोई भी जानकारी न होना प्रकट करते हुए नुकसानी पंचनामा (प्रदर्श पी-4) पर उनके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी गोपालसिंह (अ.सा.-1), दिलीप नागपुरे (अ.सा.-2) एवं रोशन (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियोजन का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है। उपर्युक्त सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर सभी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। प्रकरण में फरियादी भीमराव की मृत्यु हो जाने से उसके भाई साक्षी शंकरराव (अ.सा.-4) द्वारा अभियुक्त से राजीनामा भी कर लिया गया है। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त द्वारा फरियादी से अवैध पैसे की मांग कर सम्पत्ति उद्घापित करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गयी हो। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 327 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

8 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी

भीमराव से अवैध पैसे की मांग कर सम्पत्ति उद्यापित करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त संतोष को धारा 327 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

9 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)